

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

दण्डिक प्रकरण क्रमांक 193/17
संस्थित दिनांक-03.05.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

नान्हू मरकाम पिता मुनीमसिंह मरकाम, उम्र-23 वर्ष,
निवासी बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

दिनांक-16.05.2017 को घोषित:-

- 1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 184 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-30.04.2017 को समय 5:30 बजे, मेन रोड पुलिया के पास ग्राम मोहगांव बिरसा में मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-08/ए.ए-9633 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर फरियादी रमलाबाई एवं अन्य का मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर फरियादी रमलाबाई को टक्कर मारकर उसे उपहति कारित कर, उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस के एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया।
- 2- प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक-16.05.2017 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181, 184 राजीनामा योग्य नहीं होने से उक्त धाराओं में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रमलाबाई ने दिनांक-20.04.2017 को थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-20.04.2017 को वह मोहगांव बाजार करके शाम 5:30 बजे घर वापस जा रही थी, तभी मोहगांव मेन रोड पुलिया के पास एक मोटरसाईकिल चालक ने मोटरसाईकिल को तेज गति एवं

लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गई थी। फरियादी को दाहिने पैर, पेट व बाएं हाथ की कलाई एवं सिर में चोट आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक-51/17 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त को निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-30.04.2017 को समय 5:30 बजे, मेन रोड पुलिया के पास ग्राम मोहगांव बिरसा में मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-08/ए.ए-9633 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर फरियादी रमलाबाई एवं अन्य का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लाइसेंस के चलाया ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निराकरण

6- रमलाबाई अ.सा.1 का कथन है कि घटना न्यायालयीन कथनों से 15 दिन पूर्व की है। साक्षी मोहगांव बाजार सामान खरीदने गई थी। साक्षी उसकी साईड से चल रही थी। पुलिया के पास मोटरसाइकिल ने पीछे से साक्षी को टक्कर मारी थी। टक्कर लगने से साक्षी उसके सामान सहित गिर गई थी। इस कारण साक्षी ने थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। साक्षी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 नहीं बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को

पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

7— रमलाबाई अ.सा.1 ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण फरियादी ने उसकी साक्ष्य में इस विचारण बिन्दु की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष रमलाबाई अ.सा.1 की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्रमांक—सी.जी—08/ए.ए—9633 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर फरियादी रमलाबाई एवं अन्य का मानव जीवन संकटापन्न किया था।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 व 3 का निराकरण:—

8— विचारणीय बिन्दु क्रमांक—2 एवं 3 एक—दूसरे संबंधित होने से दोनों बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9— रमलाबाई अ.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त घटना के समय प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना वैध लाईसेंस के एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चला रहा था। फरियादी ने उसकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर नहीं बताए हैं एवं घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है, इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना वैध लायसेंस के लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया था।

10— प्रकरण में उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 का आरोप एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181, 184 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181, 184 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)